गांधीजी की नई तालीम
[Gandhiji's Nai Talim]

भारतीय शिक्षा को गांधीजी की सबसे बड़ी, सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे मूल्यवान देन नई तालीम है। देश की स्वतन्त्रता के आन्दोलन का संचालन करते समय गांधीजी ने अनुभव किया कि देश के उद्धार के लिये भारतीय शिक्षा का पुनर्संगठन करना होगा। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा को दोषपूर्ण पाया और उसको राष्ट्रहित के लिये उपयुक्त नहीं समझा। उन्होंने अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों को 'हरिजन' नामक पत्रिका में प्रकाशित किया। तत्कालीन शिक्षा को दोषपूर्ण बताते हुए उन्होंने लिखा, **"मैं यह अनुभव करता हूँ कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण ही नहीं, हानिकारक भी है। अधिकांश लड़के अपने माता-पिता के पैतृक व्यवसाय को त्याग देते हैं। बुरी आदतों को ग्रहण कर लेते हैं। वे जो कुछ भी सीखते हैं, उसे शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी कह सकते हैं।"**

31 जुलाई, 1937 के 'हरिजन' में अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट करते हुए गांधीजी ने लिखा, **"शिक्षा से मेरा अभिप्राय है—बालक एवं मनुष्य की समस्त शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। साक्षरता स्वयं में कोई शिक्षा नहीं है, अतः मैं बालक की शिक्षा का आरम्भ उसे एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर करना चाहता हूँ और उसे इस योग्य बना देना चाहता हूँ कि सिखलाई के समय से ही वह कुछ उत्पादन भी करने लगे। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय आत्म-निर्भर बन सकता है। शर्त यह है कि राज्य विद्यालयों में निर्मित वस्तुओं को खरीदने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर ले। "**

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 21 सितम्बर, 1947 को उन्होंने 'हरिजन' में लिखा, *"शिल्प, कला, स्वास्थ्य और शिक्षा को एक व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वित कर देना चाहिए। तालीम इन चारों का सुन्दर समन्वय है और इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी शिक्षा आ जाती है....शिल्प और उद्योग को शिक्षा से अलग मानने के बजाय मैं उन्हें शिक्षा का माध्यम मानूँगा।...मेरी तालीम धन पर निर्भर नहीं है। शिक्षा की पद्धति से ही स्वयं उसे चलाने का खर्चा निकल आना चाहिए। मैं जानता हूँ कि शिक्षा केवल वही है जो आत्मनिर्भर हो, फिर चाहे उसकी कितनी भी आलोचना की जाये।.....इसे शिक्षा की नई पद्धति कहा गया है क्योंकि यह विदेश से आयात या आरोपित नहीं की गई, यह भारत के वातावरण के अनुकूल है, जो मुख्यतः गाँवों से बना है। यह पद्धति मनुष्य को बनाने वाले शरीर, मन और आत्मा के बीच सन्तुलन स्थापित करने में विश्वास करती है। यह पाश्चात्य पद्धति से भिन्न है जो मुख्य रूप से युद्धवादी है, जिसमें आत्मा की ओर ध्यान न देकर मन और शरीर की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है।"*

नई तालीम के विकास का इतिहास

अपने घर में प्रयोग, 1897

सर्वप्रथम गांधीजी ने अपनी नई तालीम का प्रयोग अपने घर के बच्चों पर ही किया। जब वे जनवरी, 1897 में दक्षिण अफ्रीका गए, तब उन्होंने अपने बच्चों को किसी छात्रावास में नहीं रखा, बल्कि उनको घर पर ही उद्योग की शिक्षा दी गयी।

फिनिक्स आश्रम, 1904

सन् 1904 में दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी द्वारा फिनिक्स परिवार की शिक्षा-दीक्षा हेतु एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गयी। आश्रम के नियम के अनुसार आश्रमवासी सभी कार्यों को अपने हाथों से करते थे। सादा जीवन पर जोर दिया जाता था। शारीरिक श्रम, पवित्रता, संयम और सात्विक जीवन आश्रम की मुख्य

Scanned by CamScanner

विशेषताएँ थीं। इस व्यावहारिक शिक्षा से बालकों में स्वावलम्बन, सहकारिता और शारीरिक श्रम के प्रति आस्था का संचार हुआ। आश्रम के बच्चों की शिक्षा का भार स्वयं गांधीजी ने सम्भाला। यहाँ चरित्र-निर्माण पर अधिक जोर दिया जाता था। खेती, बागवानी, लकड़ी काटना, गड्ढे खोदना, भोजन बनाना, सफाई करना आदि कार्यों को करने के लिए बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रह सके और उनमें स्वावलम्बन की भावना का विकास हो।

टालस्टाय आश्रम, 1911

सन् 1911 में डरबन से इक्कीस मील दूर एक स्थान पर गांधीजी ने टालस्टाय आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में सत्याग्रहियों के रहने का प्रबन्ध किया जाता था। उनके साथ बालक भी रहते थे, जिनकी शिक्षा का भार स्वयं गांधीजी ने लिया। वहाँ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा था। अँग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, गृह-उद्योग (चर्म कार्य, काष्ठ कार्य और कृषि) की शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी थी। बच्चों के आत्मिक विकास हेतु भगवत-भजन को प्रारम्भ किया गया। मानव प्रेम, विश्व प्रेम, अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा और संक्षिप्त यात्राएँ आदि पर विशेष बल दिया जाता था। गांधीजी ने सह-शिक्षा पर बल दिया। बालक-बालिकाओं को ब्रह्मचर्य एवं आत्म-संयम का ज्ञान कराया गया। गांधीजी बालकों को दण्ड देने के पक्ष में नहीं थे। वे बालकों का प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूति के द्वारा आत्म-सुधार करना चाहते थे। वे अहिंसक तरीके से बच्चों में अनुशासन लाना चाहते थे। इस प्रकार, गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में शिक्षा-सम्बन्धी अनेक प्रयोग किए, जो आगे चलकर नई तालीम के आधारभूत सिद्धान्त बने।

शान्ति निकेतन, 1914

सन् 1914 में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यहाँ भी उनकी शिक्षा का प्रयोग जारी रहा। रवीन्द्रनाथ टैगोर के निमन्त्रण पर, वे शान्ति निकेतन गए। यहाँ पर वे सभी कामों को अपने हाथों से करने की शिक्षा देने लगे। लकड़ी काटना, सब्जियाँ बनाना, भोजन बनाना, बर्तन माँजना, सफाई करना आदि कार्य वे स्वयं करने लगे।

साबरमती आश्रम, 1915

सन् 1915 को साबरमती के तट पर अहमदाबाद में गांधीजी ने अपने आश्रम की स्थापना की जो 'साबरमती आश्रम' के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ एक विद्यालय खोला गया, जहाँ अक्षर-ज्ञान के साथ-साथ उद्योग का भी ज्ञान कराया गया। गांधीजी ने कहा कि, शिक्षा किसी-न-किसी उद्योग को केन्द्र बनाकर दी जाए, शिक्षा किसी हद तक अपना व्यय स्वयं निकाल सके और शिक्षा का सम्बन्ध हमारे ग्रामोद्योगों से हो। इस आश्रम में बच्चों और प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था की गयी। पढ़ाई-लिखाई के साथ, कताई-बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी आदि उद्योगों को अनिवार्य रूप से सिखाया जाता था। गांधीजी का मत था कि बच्चों को राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे आगे चलकर स्वावलम्बी बन सकें।

गुजरात विद्यापीठ, 1920

सन् 1920 में गांधीजी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। यहाँ शिक्षा का माध्यम गुजराती भाषा था, लेकिन हिन्दी भाषा अनिवार्य थी। अक्षर-ज्ञान के साथ उद्योग शिक्षा पर समान रूप से बल दिया गया। चरित्र-निर्माण, सदाचार, आत्म-संयम, सात्विक जीवन और भारतीय संस्कृति पर विशेष बल दिया गया। यहाँ पर गांधीजी ने अपने अनेक विचारों को साकार किया। उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया और शिक्षा के माध्यम से बालकों को स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा दी। खादी उद्योग एवं घरेलू उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इसके माध्यम से गांधीजी बुद्धिजीवी वर्ग और श्रमिक वर्ग तथा नगरवासियों और ग्रामवासियों में व्याप्त भेद को मिटाना चाहते थे एवं समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य, आत्म-संयम, स्वावलम्बन एवं सह-शिक्षा पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

Scanned by CamScanner

1930 ई० में गांधी साबरमती आश्रम छोड़कर नमक-कानून भंग करने के लिए डाण्डी यात्रा पर चल दिए। वे पुनः लौटकर साबरमती आश्रम नहीं आए, लेकिन उनका शिक्षा का प्रयोग चलता रहा।

वर्धा शिक्षा योजना का जन्म, 1937

22-23 अक्टूबर, 1937 को वर्धा में मारवाड़ी हाई-स्कूल के रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर **'अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन'**, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं, आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों के शिक्षाशास्त्रियों और समाज सुधारकों ने भाग लिया। गांधीजी इस सम्मेलन के सभापति बनाये गये। उन्होंने अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों को सम्मेलन में सम्मिलित लोगों के सामने रखा। गम्भीर विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुये। ये प्रस्ताव ही वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध हुए और इस योजना के निर्माण के साथ ही भारत में नई तालीम या बेसिक शिक्षा योजना का जन्म हुआ। ये प्रस्ताव निम्नलिखित थे—

(1) देश के सम्पूर्ण बालकों के लिये 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाये।
(2) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा जाये।
(3) किसी उत्पादक हस्तकला के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाये और पाठ्यक्रम के समस्त विषय उत्पादक हस्तकला को केन्द्र मानकर पढ़ाये जायें।
(4) विद्यार्थियों द्वारा किये गये उत्पादन से शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था की जाये।

जाकिर हुसैन समिति, 1937, 1938

उपर्युक्त प्रस्तावों को पारित करने के बाद सम्मेलन ने गांधीजी की योजना को व्यावहारिक रूप देने, शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार करने और नई तालीम का पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु 'जामिया मिलिया' दिल्ली के तत्कालीन प्राचार्य डॉ० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति के सदस्यों में सर्वश्री विनोबा भावे, काका कालेलकर, आर्यनायकम और प्रो० के०टी० शाह भी थे। इस समिति ने दिसम्बर, 1937 और अप्रैल, 1938 में अपनी दो रिपोर्ट प्रस्तुत कीं। समिति ने इस योजना को नई तालीम या बुनियादी तालीम (Basic Education) का नाम दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में नई तालीम की रूपरेखा को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया—

(1) 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाये।
(2) शिक्षा किसी हस्तकला के माध्यम से दी जाये।
(3) शिक्षण का माध्यम मातृभाषा रखा जाये।
(4) शिक्षा में शारीरिक श्रम पर बल दिया जाये, जिससे विद्यार्थी भविष्य में स्वयं परिश्रम करके अपना जीवनयापन कर सकें।
(5) शिक्षा का सम्बन्ध बालक की परिस्थिति और वातावरण से रखा जाये, क्योंकि हस्तकला का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जायेगा।
(6) शिक्षा स्वावलम्बी हो। वह विद्यार्थियों को आत्म-निर्भरता का पाठ सिखाये और इससे शिक्षकों का वेतन भी निकल सके।
(7) नई तालीम के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय रखे जायें—

(क) कोई एक आधारभूत शिल्प; जैसे—कताई, बुनाई, मिट्टी का कार्य, कपड़े का कार्य, कृषि, बागवानी आदि।
(ख) मातृभाषा।
(ग) गणित।
(घ) सामाजिक अध्ययन—इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र।
(ङ) सामान्य विज्ञान

Scanned by CamScanner

(च) कला
(छ) हिन्दुस्तानी (उर्दू एवं देवनागरी लिपि में)
(ज) शारीरिक शिक्षा

हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, 1938

1938 के अपने हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और इसे व्यावहारिक रूप देने के लिये अप्रैल, 1939 में सेवाग्राम में **'अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्'** (All India National Education Board) की स्थापना की। इस परिषद् को हिन्दुस्तानी तालीम संघ भी कहा गया।

हिन्दुस्तानी तालीम संघ, 1939

हिन्दुस्तानी तालीम संघ ने अपनी पहली बैठक में ही संघ के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया, जिसकी प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं—

(1) हिन्दुस्तानी तालीम संघ बुनियादी-राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षा क्रम तैयार करेगा।
(2) बुनियादी तालीम की संस्थाओं का संचालन और मार्गदर्शन करेगा।
(3) शिक्षकों के प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, सहायता और मार्गदर्शन करेगा।
(4) आवश्यक साहित्य की रचना और प्रकाशन करेगा।
(5) आवश्यक अनुसंधान कार्य चलायेगा।
(6) प्रचार का संगठन करेगा।
(7) राज्यों में सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बुनियादी तालीम का कार्य प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा।
(8) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चन्दा एकत्र करेगा और अन्य आवश्यक कार्य करेगा।

तालीम संघ के द्वारा राज्यों में नई तालीम के क्रियान्वयन के लिए अनेकानेक प्रयास किये गये, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्यों में नई तालीम को प्रारम्भ किया गया और कुछ राज्यों में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किये गये।

सभी कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने अपने प्रान्तों में इस योजना को कार्यान्वित करना शुरू किया। प्रान्तीय सरकारों के उत्साह को देखकर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1938 में मुम्बई के मुख्यमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री श्री वी०जी० खेर की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की।

खेर समिति, 1938

खेर समिति (1938) ने बुनियादी शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये—

(1) नई तालीम योजना को सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाये।
(2) नई तालीम 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिये अनिवार्य की जाये।
(3) नई तालीम में कई उद्योग-धन्धे सम्मिलित किये जायें।
(4) नई तालीम में उन विषयों को स्वतन्त्र रूप से पढ़ाया जाये, जो किसी उद्योग से सम्बन्धित नहीं किये जा सकते।
(5) नई तालीम के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें।
(6) बालिकाओं को उनके लिये उपयुक्त विषयों की शिक्षा दी जाये।
(7) नई तालीम में बाह्य परीक्षा का बन्धन न रखा जाये। आन्तरिक परीक्षाओं के आधार पर ही प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायें।
(8) नई तालीम के स्कूलों में बनी हुई वस्तुओं की बिक्री के लिए एक केन्द्रीय संगठन बनाया गया।

Scanned by CamScanner

अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, सेवाग्राम, 1945

नई तालीम के भावी कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिये 1945 में सेवाग्राम में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में गांधीजी ने नई तालीम को शिक्षा के समस्त स्तरों पर लागू करने का प्रस्ताव किया। सम्मेलन में गांधीजी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और बुनियादी स्कूलों के निम्नलिखित 4 स्तर निर्धारित किये गये—

(1) पूर्व बुनियादी शिक्षा—इनमें 7 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस स्तर पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास करना तथा उनमें अच्छी आदतों का निर्माण करना होना चाहिये।

(2) बुनियादी शिक्षा—इनमें 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस स्तर पर बालकों को किसी एक हस्तकला का ज्ञान दिया जाना चाहिये। गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की शिक्षा दी जानी चाहिये। भोजन, वस्त्र व निवास के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने तथा अच्छे स्वास्थ्य और सुन्दर जीवन के लिये अच्छी आदतों का विकास करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

(3) उत्तर बुनियादी शिक्षा—इनमें 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस स्तर पर भी शिक्षा किसी हस्तकला के माध्यम से ही दी जानी चाहिये। शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिये और शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषायें होना चाहिये।

(4) प्रौढ़ शिक्षा—बुनियादी शिक्षा का प्रसार प्रौढ़ व्यक्तियों में भी किया जाना चाहिये। इन स्कूलों के द्वारा बालकों के माता-पिता को शिक्षित किया जाना चाहिये और उन्हें बुनियादी शिक्षा के स्वरूप और महत्त्व को बताया जाना चाहिये।

स्वतन्त्र भारत में नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का विकास

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा योजना घोषित किया और उसके विकास व प्रसार के लिये अनेक प्रयत्न किये। केन्द्रीय सरकार ने 1955 में अनुमान निर्धारण समिति की स्थापना की, जिसने बुनियादी शिक्षा के विकास के लिये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये—

(1) प्रत्येक राज्य सरकार को अल्प समय में ही अपने राज्य के समस्त प्राइमरी स्कूलों और प्रशिक्षिण विद्यालयों को बुनियादी स्कूलों में बदल देना चाहिये।

(2) बुनियादी स्कूलों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हाई स्कूलों में अध्ययन करने की पूर्ण सुविधा देनी चाहिये।

(4) बुनियादी स्कूलों में विद्यार्थियों को दस्तकारी सिखाने के लिये कारीगर नियुक्त किये जाने चाहिएँ।

(4) बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिये सरकार को एक केन्द्रीय शोध संस्थान की स्थापना करनी चाहिये।

(5) बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिये गाँवों की समाजसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये।

भारत सरकार ने 1956 में 'बुनियादी शिक्षा की संकल्पना' (The Concept of Basic Education) नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी वर्ष बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित अनुसन्धान करने और उसकी प्रगति के उपाय बताने के लिये केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधीन 'राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा के प्रतिष्ठान' की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिये अनेक प्रयास किये गये, किन्तु इन प्रयासों के बाद भी बुनियादी शिक्षा की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही और गांधीजी की यह योजना लोकप्रिय नहीं हो सकी।

वर्धा शिक्षा योजना का नामकरण

वर्धा शिक्षा योजना को नई तालीम, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा और बेसिक शिक्षा के नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में बुनियादी शब्द का हिन्दी अर्थ है—आधारभूत और उर्दू अर्थ है—बुनियादी। इस शिक्षा को आधारभूत या बुनियादी या बेसिक (Basic) या नई तालीम कहने के अग्रलिखित कारण हैं—

Scanned by CamScanner

(1) यह शिक्षा की नयी योजना है, विदेश से आयात या आरोपित नहीं है।
(2) यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सम्यक संस्कृति है।
(3) यह शिक्षा बालक-बालिकाओं की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरुचियों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करती है।
(4) यह शिक्षा बालक-बालिकाओं को उतना आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है, जो उनके लिये आवश्यक है।
(5) यह शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने भावी जीवन के निर्वहन के लिये कर सकता है।
(6) यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से सम्बन्धित है। गांधीजी ने इस सन्दर्भ में कहा था कि, "बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से सम्बन्धित करती है।"

बुनियादी शिक्षा का अर्थ
(Meaning of Basic Education)

गांधीजी के अनुसार, बुनियादी शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से है, जो बालकों को विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का ज्ञान देते हुए उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करने में समर्थ हो ताकि देश में समाजवादी समाज का निर्माण कर ग्रामीण तथा नगर दोनों की जनता को सुखी और समृद्ध बनाया जा सके।

बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य
(Aims of Basic Education)

जाकिर हुसैन के अनुसार, बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य लोकतान्त्रिक समाज के लिये ऐसे योग्य और जागरूक नागरिक तैयार करना है, जो अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को समझते हुये समाज के आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें। बुनियादी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं—

(1) आर्थिक उद्देश्य—गांधीजी ने कहा था कि, *"प्रत्येक बालक और बालिका को स्कूल छोड़ने के बाद किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलम्बी बनाना चाहिये।"*

इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से बुनियादी शिक्षा के दो उद्देश्य हैं—(1) बुनियादी शिक्षा समाप्ति के बाद बालकों को किसी व्यवसाय में दक्ष बनाकर बेकारी की समस्या का हल करना और (2) बालकों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय से विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करके उनको आत्म-निर्भर बनाना।

(2) सांस्कृतिक उद्देश्य—गांधीजी ने कहा था कि, *"यदि किसी स्थिति में पहुँचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है।"*

इस दृष्टि से बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालकों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना और उसके प्रति लगाव उत्पन्न करना है।

(3) चारित्रिक एवं नैतिक उद्देश्य—गांधीजी चरित्र को ही जीवन मानते थे। उनका मत था कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य चरित्र-निर्माण ही होना चाहिये। वे कहते थे कि शिक्षा का अर्थ मात्र अक्षर ज्ञान नहीं, अपितु चरित्र-निर्माण व धार्मिक भावनाओं का सम्मान करवाना है। इसके लिये चरित्र-निर्माण और नैतिक विकास को बुनियादी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माना गया।

(4) नागरिकता के गुणों के विकास का उद्देश्य—बुनियादी शिक्षा एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना है, इसलिये इसका उद्देश्य बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास करना है। ये शिक्षा बालकों में सहयोग, सदाचार, राष्ट्र-प्रेम, श्रम के प्रति आदर तथा प्रेम एवं कर्त्तव्यपालन की भावना का विकास करती है।

Scanned by CamScanner

(5) शारिरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्य—गांधीजी ने कहा था कि, *"शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य की सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वतोन्मुखी विकास है।"*

इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये उन्होंने बुनियादी शिक्षा की नींव डाली। अतः स्वाभाविक है कि बुनियादी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना है।

(6) सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य—सर्वोदय समाज में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, अन्याय के स्थान पर न्याय, शोषण के स्थान पर सेवा, संघर्ष के स्थान पर सहयोग, हिंसा के स्थान पर अहिंसा और धन के स्थान पर श्रम की महत्ता होती है। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे ही सर्वोदय समाज की स्थापना करना है। बालकों में सर्वोदय समाज की स्थापना के लिये बुनियादी शिक्षा प्रेम, सहयोग, आत्मविश्वास, आत्म-निर्भरता, न्यायप्रियता और त्याग आदि गुणों का विकास करती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित 'प्रायोगिक शिक्षा' में वर्णित किये गये बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर उनको निम्नलिखित दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—

(1) आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य
(2) सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य।

(1) आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य

(1) भविष्य की आजीविका पर ध्यान केन्द्रित करना।
(2) सार्वजनिक आवश्यकताओं और औद्योगिक/बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ध्यान केन्द्रित करना।

(2) सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य।

(1) सामाजिक सोच के लिए प्रशिक्षित करना।
(2) समुदाय में एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता होने के लिए प्रशिक्षित करना।
(3) समाज की सेवा के लिए नैतिक गुणों—सहयोग, प्रेम, पारस्परिक समर्थन, आत्म-अनुशाासन, स्वायत्त शासन आदि का संवर्धन करना।
(4) प्रभावी लोकतंत्र के लिए नागरिकता की भावना के विकास के लिए प्रशिक्षित करना।
(5) चरित्र का निर्माण करना।
(6) सत्य, न्याय और अहिंसा जैसे सामाजिक, राजनीतिक और मौलिक गुणों का अभ्यास करना।
(7) सहयोग, आज्ञाकारिता, स्वनियम और अनुशासन की आदतों का विकास करना।
(8) कार्य शिक्षा के माध्यम से विभिन्न क्षमताओं में वृद्धि और समग्र विकास करना।

बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त
(Principles of Basic Education)

(1) अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा—गांधीजी का कहना था कि जनसाधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है, अतः उसका अन्त करना आवश्यक है। उनका विचार था कि साक्षरता का प्रसार किये बिना देश में सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति नहीं लायी जा सकती। भारत एक निर्धन देश है और यहां के अभिभावक अपने बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिये भी अनावश्यक व्यय नहीं कर सकते। अतः उन्होंने बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत 7 से 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही।

(2) हस्तकला द्वारा शिक्षा—गांधीजी का कहना था कि, *"साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, अतः मैं बालक की शिक्षा का आरम्भ उसे एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर करना चाहता हूँ जिससे सिखलाई के समय से ही वह कुछ उत्पादन करने लगे।"*

Scanned by CamScanner

बुनियादी शिक्षा में किसी हस्तकला के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी विषयों को किसी हस्तकला पर आधारित करके पढ़ाया जाता है। हस्तकला की शिक्षा से बालकों का नैतिक और आत्मिक विकास होता है, आत्मविश्वास का गुण पैदा होता है, शारीरिक श्रम के प्रति उचित अभिवृत्ति का विकास होता है और आत्म-निर्भरता आती है। बुनियादी शिक्षा में 'करके सीखना' और 'क्रिया के माध्यम से सीखना' के सिद्धान्त आ जाते हैं।

(3) स्वावलम्बी शिक्षा—गांधीजी का कहना था कि, *"शिक्षा को स्वावलम्बी होना चाहिये तथा शिक्षा से स्थायी पूँजी के अतिरिक्त वह सब धन मिल जाना चाहिये जो प्राप्त करने पर व्यय किया गया है।"*

उनका विचार था कि भारत जैसे निर्धन देश में शिक्षा की ऐसी योजना को अपनाना होगा जो आत्म-निर्भर हो। इससे जहाँ हमारे अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम होगा, वहाँ सरकार पर भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और वह शिक्षा प्रसार तीव्र गति से कर सकेगी। बुनियादी शिक्षा के स्वावलम्बी और आत्म-निर्भर होने के दो अर्थ हैं—प्रथम, यह योजना विद्यार्थियों को आत्म-निर्भरता का पाठ सिखायेगी अर्थात् शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी अपनी जीविका की समस्या को हल कर सकेंगे और द्वितीय, यह योजना स्वयं आत्म-निर्भर होगी अर्थात् विद्यार्थियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचकर शिक्षकों का वेतन व अन्य व्यय निकल सकेगा।

(4) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा—गांधीजी का कहना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये। मातृभाषा द्वारा ही स्वाभाविक और वास्तविक शिक्षा सम्भव है। मातृभाषा के द्वारा ही बालक अपने विचारों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है, आत्म-सन्तोष प्राप्त कर सकता है, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को समझ सकता है व राष्ट्र-प्रेम की भावना विकसित कर सकता है। अतः बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को रखा गया है।

(5) समन्वय पर बल—बुनियादी शिक्षा में समन्वय पर विशेष बल दिया गया है। इसमें समस्त शिक्षा का माध्यम कोई हस्तकला अथवा क्रिया होती है। इसीलिये बुनियादी शिक्षा को हस्तकला प्रधान शिक्षा कहते हैं। शिक्षक किसी हस्तकला से अन्य विषयों को सम्बन्धित करके शिक्षा प्रदान करता है। चूँकि इस हस्तकला का चयन बालक के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से ही किया जाता है, इसलिये ऐसे हस्त-कार्यों से विषयों को सम्बन्धित कर देने से विषय सरलता से बालक की समझ में आ जाता है और शिक्षा उसके जीवन से सम्बन्धित हो जाती है। वस्तुतः बुनियादी शिक्षा हाथ के काम और बालक के प्राकृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण को समन्वित करके उसकी शिक्षा को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास करती है।

(6) स्वतन्त्रता प्रधान प्रणाली—बुनियादी शिक्षा में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों दोनों को कार्य करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती है। यहाँ विद्यार्थियों को उपयोगी कार्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने और अपने कार्य में पूर्ण रुचि दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। उन्हें स्वतन्त्र रूप से हस्तकला का कार्यक्रम बनाने और उसको कार्यान्वित करने की स्वतन्त्रता होती है। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को भी अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर उनका अधिकार होता है। अपने अनुभवों के आधार पर अपनी कार्यविधि में परिवर्तन करने का उनको अधिकार होता है। वे अपनी इच्छानुसार परीक्षण और प्रयोग कर सकते हैं और ऐसी शिक्षण विधि का अनुसरण कर सकते हैं, जो विद्यार्थियों के लिये लाभप्रद हो।

(7) शिक्षा का जीवन से सम्बन्धित होना—गांधीजी का कहना था कि शिक्षा जीवन से पूर्णतया सम्बन्धित होनी चाहिये। बुनियादी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा बालक के जीवन से सम्बन्धित करके प्रदान की जाती है। किसी हस्तकला या क्रिया का चयन उसके स्थानीय, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से ही किया जाता है। जाकिर हुसैन समिति ने भी कहा था कि, *"जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, इस प्रकार की शिक्षा वास्तविक जीवन के द्वारा उसे हस्तकला अथवा सामाजिक और भौतिक वातावरण से सम्बन्धित करके ही दी जानी चाहिये।"*

Scanned by CamScanner

(8) शारीरिक श्रम का महत्त्व—भारत में मानसिक कार्य को श्रेष्ठ और शारीरिक कार्य को निम्न माना गया है। यह प्रवृत्ति हानिकारक है। बुनियादी शिक्षा में शारीरिक श्रम के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। इसमें बालक स्वयं अपने हाथों से कार्य सीखते हैं, जिससे उनमें शारीरिक श्रम के प्रति घृणा की भावना पैदा नहीं होती और वे उसके महत्त्व को समझने लगते हैं।

(9) आदर्श नागरिकता का सिद्धान्त—गांधीजी का कहना था कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिये, जो बालक की शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आत्मिक शक्तियों का विकास करे। बुनियादी शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों के विकास पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली बालकों में आत्म-सयंम, आज्ञा-पालन, सहनशीलता, प्रेम, सहयोग, त्याग आदि नागरिक गुणों का विकास करती है। उनमें कर्त्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करती है तथा उनमें समाज व देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को ईमानदारी से निभाने की भावना उत्पन्न करती है।

(10) अहिंसा का सिद्धान्त—बुनियादी शिक्षा में अहिंसात्मक सिद्धान्तों को अपनाने पर बल दिया गया है। गांधीजी ने कहा था कि, "यदि हम साम्प्रदायिक विद्वेष तथा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें नींव सुदृढ़ तथा शुद्ध रखनी चाहिये और इसके लिये नयी पीढ़ी को मेरी योजना के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिये। इस योजना का स्रोत अहिंसा है। यूरोप हमारा आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी योजनायें हिंसा पर आधारित हैं। यदि भारत ने हिंसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है तो यह शिक्षा प्रणाली ही उसको प्राप्त करने का प्रमुख साधन हो सकती है। हम से कहा जाता है कि इंग्लैण्ड और अमेरिका में शिक्षा पर करोड़ों रुपये व्यय किये जाते हैं, किन्तु हम यह भूल जाते हैं, कि यह सब धनराशि शोषण के द्वारा प्राप्त की जाती है। वहाँ शोषण कला ने विज्ञान का रूप धारण कर रखा है। हम न तो शोषण की बात सोच सकते हैं और न सोचेंगे ही। अतः अहिंसा पर आश्रित शिक्षा के अतिरिक्त हमारे समक्ष कोई अन्य विकल्प नहीं है।"

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित 'प्रायोगिक शिक्षा' में बुनियादी शिक्षा के जो मुख्य सिद्धान्त बताये गये हैं, वे निम्न प्रकार हैं—

बुनियादी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत

बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक कार्य हैं—

- सभी बच्चों को सार्वभौमिक रूप से दी जाने वाली न्यूनतम शिक्षा को गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा कहा।
- शिक्षा की यह प्रणाली स्वदेशी है, यह किसी दूसरे देश से आयात नहीं की गई है और इसलिए यह राष्ट्रीय है—यह बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा है।
- इस शिक्षा का पाठ्यक्रम सात सालों का है, जो तब शुरू होती है जब बच्चे की उम्र सात साल की हो। शिशु विद्यालय और बुनियादी शिक्षा के बाद के पाठ्यक्रम इसमें शामिल नहीं हैं।
- बुनियादी शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए।
- इसकी पद्धति, जो शिक्षण-ज्ञान अर्जन व्यवहार पर आधारित है, किसी शिल्प कला या हस्तकला के इर्द-गिर्द बुनी होनी चाहिए।
- चयनित शिल्प कला को, कुशलता और व्यावहारिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए, व्यवस्थित रूप से सीख लेना चाहिये।
- शिल्प के उत्पाद, बेचने लायक होने चाहिए।
- यह प्रयास किया जाना चाहिए कि उत्पादों के मूल्यों से शिक्षक के वेतन की आपूर्ति की जा सके।
- स्कूल के भवन, फर्नीचर, किताबों, मानचित्रों और शिल्प/कार्य शिक्षा के उपकरणों के सहित सभी औजारों के खर्च की आपूर्ति राज्य द्वारा की जानी चाहिए।

Scanned by CamScanner

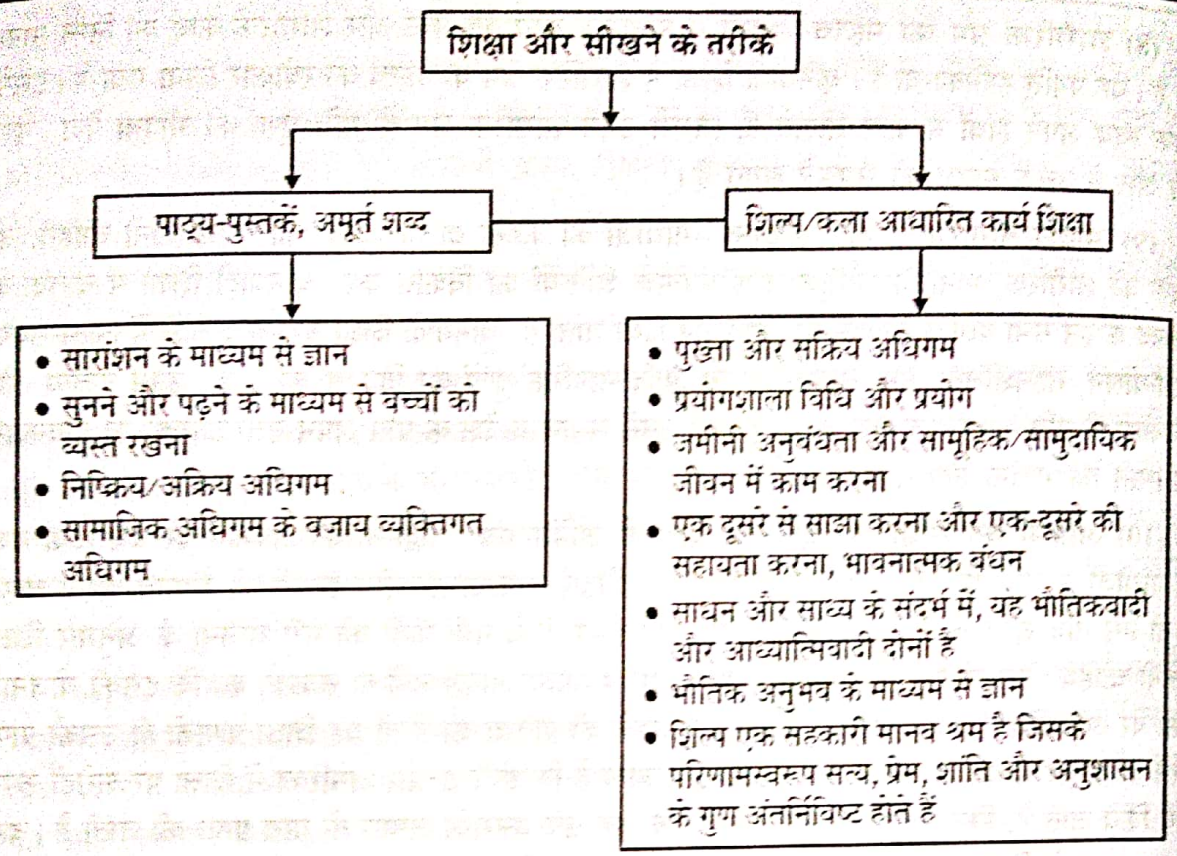

बुनियादी शिक्षा की विशेषताएँ
(Characteristics of Basic Education)

(1) बालक शिक्षा का केन्द्र—बुनियादी शिक्षा प्रणाली में बालक को शिक्षा का ग्राहक समझा जाता है, इसलिए उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाना और समझना, जिनकी व्यवस्था करना और जिनको पूर्ण करना आवश्यक होता है। इस शिक्षा प्रणाली में बालक ही शिक्षा का केन्द्र होता है। उसके स्वभाव और उसकी क्रियाशीलता के अनुकूल ही इसमें शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसमें उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति, रागात्मक वृत्ति, कल्पना शक्ति और चिन्तन शक्ति आदि के विकास के उसे पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं।

(2) क्रिया प्रधान शिक्षा प्रणाली—बुनियादी शिक्षा प्रणाली क्रिया-प्रधान है। इसमें सम्पूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव है और इस अनुभव को प्राप्त करने का माध्यम कोई हस्तकला होती है। इस हस्तकला के माध्यम से क्रिया द्वारा बालक ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धान्त को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। किन्डरगार्टन, मॉन्टेसरी आदि शिक्षण प्रणालियों का आधारभूत सिद्धान्त यही है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली में भी इसको अपनाया गया है।

(3) ज्ञान एक संगठित व पूर्ण इकाई—वस्तुतः सम्पूर्ण ज्ञान एक संगठित इकाई है। उसको विभिन्न विषयों में विभाजित करना उपयुक्त नहीं है। बुनियादी शिक्षा में सम्पूर्ण ज्ञान का केन्द्र कोई एक हस्तकला होती है। उसी के माध्यम से बालक सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। उदाहरण के लिये, एक लकड़ी के कार्य की शिक्षा देते समय बालकों को अच्छी तथा बुरी लकड़ी की पहचान, लकड़ी की किस्म, लकड़ी से निर्मित वस्तुओं के नाम, उसके चित्र आदि बनाने और लकड़ी के व्यापार आदि के विषय में व्यावहारिक तथा उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाता है।

(4) सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास—बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आत्मिक और आर्थिक विकास करके उसे इस योग्य बनाना है कि वह वातावरण के साथ अपना समायोजन कर सके। बुनियादी शिक्षा बालक को इस योग्य बनाती है कि वह अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के साथ-साथ समाज की भी भलाई कर सके। **जाकिर हुसैन समिति** के अनुसार, *"इस शिक्षा से बालक का मनोवैज्ञानिक*

Scanned by CamScanner

हित होगा। उसे साहित्यिक तथा सैद्धान्तिक प्राचीन शिक्षा प्रणाली से, जिसके विरुद्ध उसकी आत्मा सदैव विद्रोह करती है, मुक्ति प्राप्त होगी। इस शिक्षा के द्वारा बालक केवल साक्षर ही नहीं होगा अपितु उसकी शारीरिक, बौद्धिक तथा रचनात्मक शक्तियों का भी विकास होगा। इसका अर्थ होगा—उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा।"

(5) शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता—बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। इसमें पाठ्यविषयों की अपेक्षा बालक को प्रधानता दी गयी है, 'करके सीखना' (Learning by Doing) पर बल दिया गया है, समन्वय के सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है, विद्यार्थियों और शिक्षकों को कार्य करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, उनकी रुचियों को महत्त्व प्रदान किया गया है और उनको आत्माभिव्यक्ति का अवसर दिया गया है।

(6) सामाजिक भावना का विकास—बुनियादी शिक्षा प्रणाली सामाजिक भावना के विकास पर बल देती है। इसमें बालक के सामाजिक गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी आपस में मिलकर कार्य करते हैं, जिससे उनमें एक-दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और सहानुभूति के भाव पैदा होते हैं। बुनियादी शिक्षा समानता के सिद्धान्त पर आधारित है। यह जाति, समुदाय, वर्ग आदि के भेद मिटाकर समाज की एकता पर बल देती है। यह राष्ट्रीय संस्कृति का आधार है।

(7) आर्थिक दृष्टि से उपयोगी—बुनियादी शिक्षा आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित है। गांधीजी देश की नब्ज पहचानते थे, उन्हें देश की गरीबी का पूरा अहसास था। वे विद्यार्थियों को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे और देश से बेरोजगारी दूर करना चाहते थे। अतः उन्होंने बुनियादी शिक्षा को उत्पादक बनाने का प्रयत्न किया। बुनियादी शिक्षा में विद्यार्थियों को किसी हस्तकला की शिक्षा दी जाती है। किसी हस्तकला की शिक्षा प्राप्त करके बालक अपना जीवकोपार्जन कर सकता है और उसके द्वारा बनायी गयी वस्तुओं को बेचकर विद्यालय का व्यय चल सकता है।

बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम
(Curriculum of Basic Education)

बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की गयी—

(1) आधारभूत शिल्प—इन शिल्पों में से किसी एक शिल्प का चयन करना है—(i) कृषि, (ii) कताई-बुनाई, (iii) लकड़ी का काम, (iv) मिट्टी का काम, (v) चमड़े का काम, (vi) पुस्तक कला, (vii) मछली पालन, (viii) फल या शाक एवं उद्यान का काम, (ix) बालिकाओं के लिये गृह विज्ञान, (x) कोई अन्य शिल्प, जिसके लिये स्थानीय और भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हों।

(2) मातृभाषा,

(3) गणित,

(4) सामाजिक अध्ययन (इतिहास,भूगोल और नागरिक शास्त्र)

(5) सामान्य विज्ञान—प्रकृति अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, महान वैज्ञानिकों की कहानियाँ।

(6) कला—संगीत और चित्रकला।

(7) हिन्दी—जहाँ यह मातृभाषा नहीं है।

(8) शारीरिक शिक्षा—स्वच्छता, व्यायाम और खेलकूद।

बुनियादी शिक्षा योजना में बालक-बालिकाओं के लिये पाँचवीं कक्षा तक समान पाठ्यक्रम है। बालिकायें छठी और सातवीं कक्षाओं में आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, परन्तु राष्ट्र भाषा हिन्दी का अध्ययन सभी बालक-बालिकाओं के लिये अनिवार्य है। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म का कोई स्थान नहीं है। अपनी शिक्षा योजना में धर्म को कोई स्थान न देने के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा, *"हमारी वर्धा शिक्षा योजना में से धार्मिक शिक्षा का बहिष्कार कर दिया गया है, क्योंकि हमें भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा पालन किया जाता है, वे मेल के स्थान पर झगड़े*

Scanned by CamScanner

उत्पन्न करते हैं। साथ ही मेरा विश्वास है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, जिसमें सभी मुख्य धर्मों का सार निहित हो। धर्म का यह सार मात्र शब्दों और पुस्तकों से नहीं पढ़ाया जा सकता। उसे तो बालक केवल शिक्षक की दैनिक जीवनचर्या से ही सीख सकता है।"

बुनियादी स्कूलों की समय-सारिणी
(Time-Table of Basic Schools)

बुनियादी स्कूलों में प्रतिदिन पाँच घण्टे कार्य होता है। इसकी दैनिक समय-सारिणी निम्न प्रकार है—

विषय	छात्र
(1) आधारभूत शिल्प	3 घण्टे, 20 मिनट
(2) मातृभाषा	40 मिनट
(3) संगीत, चित्रकला	40 मिनट
(4) सामाजिक विज्ञान तथा सामान्य विज्ञान	30 मिनट
(5) शारीरिक शिक्षा	10 मिनट
(6) अल्पावकाश	10 मिनट
कुल समय	5 घण्टे 30 मिनट

बुनियादी शिक्षा की शिक्षण विधि
(Teaching Method of Basic Education)

बुनियादी शिक्षा में पुस्तक प्रणाली के स्थान पर क्रिया-प्रधान शिक्षा प्रणाली पर बल दिया गया है। इस विधि की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार हैं—

(1) बुनियादी शिक्षा में किसी शिल्प को केन्द्र मानकर शिक्षा देने की व्यवस्था है, इसलिये इसमें बालकों को क्रिया द्वारा सीखने के अधिक अवसर मिलते हैं। शिक्षक की अपेक्षा क्रिया द्वारा विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करने से मस्तिष्क पर भी अमिट एवं स्थायी प्रभाव पड़ता है। आत्मानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त होने का अवसर क्रियाशीलता पर निर्भर है।

(2) बुनियादी शिक्षा में समवाय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस सन्दर्भ में कहा गया है कि बुनियादी हस्तकला पूर्ण मण्डल के रूप में होनी चाहिये और अन्य विषयों को ग्रह नक्षत्रों की तरह चारों ओर घूमना तथा केन्द्रीय सूर्य से अपने उत्ताप या रोशनी को प्राप्त करना चाहिये। इस विधि में बालक वास्तविक परिस्थितियों में, वास्तविक क्रियाओं में सहभागिता करते हुए वास्तविक ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं और उन सबको एक पूर्ण इकाई के रूप में प्राप्त करते हैं।

(3) बुनियादी शिक्षा में शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग करके बालक सीखता है। गांधीजी ने कहा था कि मेरा विश्वास है कि मस्तिष्क को सच्ची शिक्षा केवल अंगों—हाथ, आँख, नाक आदि—के उचित अभ्यास और शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, बालक के शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग उसके मस्तिष्क का विकास करने के लिये सबसे अच्छा और तेज तरीका है।

(4) बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा का ज्ञान स्वाभाविक रूप से कराया जाता है। पहली कक्षा में बालक को मातृभाषा में मौखिक शिक्षा, सुनना और बोलने की शिक्षा दी जाती है, उसके बाद उसको लिखित भाषा-पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है।

बुनियादी शिक्षा की शिक्षण पद्धति के तीनों पहलूओं को अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है—

Scanned by CamScanner

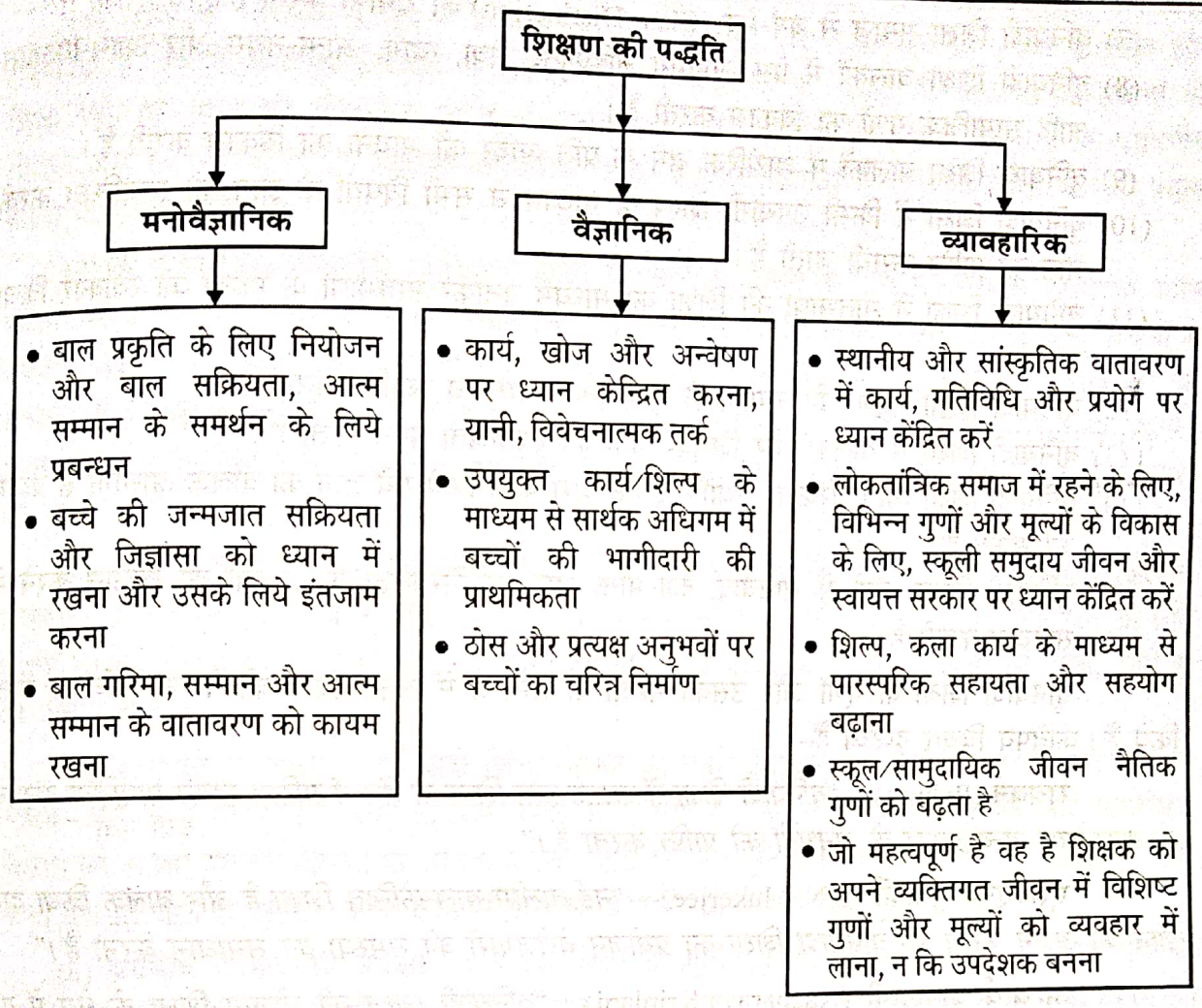

बुनियादी शिक्षा में शिक्षक
(Teacher in Basic Education)

बुनियादी शिक्षा में शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसमें केवल प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करना ही आवश्यक समझा गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये दो प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की गयी है—

(1) दीर्घकालीन प्रशिक्षण (Long-term Training)—इस प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष रखी गयी। शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले और शिक्षण कार्य का अनुभव न रखने वाले—दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिये इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

(2) अल्पकालीन प्रशिक्षण (Short-term Training)—इस प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रखी गयी है। केवल शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के लिये ही इस प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी गयी है।

बुनियादी शिक्षा के गुण
(Merits of Basic Education)

(1) बुनियादी शिक्षा क्रिया-प्रधान (Activity Centered) है।
(2) बुनियादी शिक्षा बालक-प्रधान (Child Centered) है।
(3) बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक (Phychological Based) है।
(4) बुनियादी शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास (All round Development) पर बल देती है।
(5) बुनियादी शिक्षा बालक को वास्तविक जीवन (Real Life) के लिए तैयार करती है।
(6) बुनियादी शिक्षा घर, स्कूल और समाज (Harmony between Home, School and Society) में सामंजस्य स्थापित करती है।

Scanned by CamScanner

(7) बुनियादी शिक्षा समाज से वर्ग-भेद (Class Distinction) को समाप्त करती है।
(8) बुनियादी शिक्षा बालकों में प्रेम, सहयोग सहिष्णुता, सेवा, त्याग, आत्म-संयम और आत्म-विश्वास आदि सामाजिक गुणों का विकास करती है।
(9) बुनियादी शिक्षा बालकों में शारीरिक श्रम के प्रति आदर की भावना का विकास करती है।
(10) बुनियादी शिक्षा में किसी उपयोगी शिल्प के माध्यम से सभी विषयों के ज्ञान को सम्बन्धित करके ज्ञान की प्राप्ति करायी जाती है।
(11) बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर मातृभाषा के महत्त्व को स्वीकार किया गया है।
(12) बुनियादी शिक्षा स्कूल और समाज के मध्य निकट सम्बन्ध स्थापित करती है।
(13) बुनियादी शिक्षा में बालक और शिक्षक दोनों को स्वतन्त्रता प्राप्त रहती है।
(14) बुनियादी शिक्षा व्यावहारिक है, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त किये गये ज्ञान का बालक आसानी से प्रयोग कर सकते हैं।
(15) बुनियादी शिक्षा लोगों में राष्ट्रवाद, देश-भक्ति और धर्म-निरपेक्षता के आदर्शों का विकास करने में सहायता करती है।

बुनियादी शिक्षा के गुणों और उसकी महत्ता के सम्बन्ध में अनेक विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। कतिपय विचार दृष्टव्य हैं—

रायबर्न (Ryburn)—*"बुनियादी शिक्षा में बालक हस्त-शिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहकर मानसिक अनुभवों के साथ-साथ अन्य प्रकार के अनुभवों की प्राप्ति करता है।"*

एस०एन० मुकर्जी (S.N. Mukerjee)—*"नई तालीम बाल-केन्द्रित शिक्षा है और बालक क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है। बुनियादी शिक्षा का प्रयोजन बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है।"*

आचार्य कृपलानी (Aacharaya Kriplani)—*"बुनियादी शिक्षा की योजना शिक्षा के क्षेत्र में गांधीजी की अन्तिम मनःसृष्टि है।"*

जाकिर हुसैन (Zakir Hussain)—*"नई तालीम या बुनियादी शिक्षा भारत के भावी नागरिकों में आत्म-सम्मान, आत्म-निर्भरता, आत्म-शक्ति और सामाजिक भावना पैदा करेगी।"*

टी०एन० सिकेरा (T.N. Siquera)—*"वर्धा योजना को भारत की निरक्षरता की महान् समस्या का समाधान करने के लिये अब तक किये जाने वाले प्रयासों में सबसे साहसी और सम्पूर्ण माना जा सकता है।"*

बुनियादी शिक्षा की आलोचना
(Criticism of Basic Education)

निम्नलिखित आधारों पर बुनियादी शिक्षा की आलोचना की जाती है—

(1) उद्योग-केन्द्रित—बुनियादी शिक्षा में उद्योग को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है। सम्पूर्ण बुनियादी शिक्षा का आधार ही कोई हस्तकला होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बुनियादी स्कूल विद्यालय न होकर कुटीर उद्योग केन्द्र मालूम पड़ने लगते हैं।

(2) आत्म-निर्भरता सम्भव नहीं—बुनियादी शिक्षा आत्म-निर्भर नहीं हो सकती, इसमें अपव्यय बहुत अधिक होता है। विद्यार्थी अधिक साधनों को खराब करते हैं। वस्तुतः बुनियादी शिक्षा द्वारा आत्म-निर्भरता का यह सिद्धान्त अव्यावहारिक है।

(3) नैतिक मूल्यों का ह्रास—इस योजना में उत्पादकता के सिद्धान्त पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय, विद्यालय न रहकर फैक्ट्रियाँ बन जायेंगे। विद्यार्थियों का शोषण किया जायेगा। शिक्षक वास्तविक शिक्षा प्रदान न करके बालकों को धनोपार्जन का साधन समझने लगेंगे। व्यवस्थापक अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे।

Scanned by CamScanner

(4) आज के औद्योगिक युग में अनुपयुक्त—आज का युग विज्ञान का युग है। दुनिया में उद्योग और तकनीकी के क्षेत्र में आज भारी प्रगति हो रही है। ऐसे समय में कताई, बुनाई जैसे मध्यकालीन उद्योगों की शिक्षा देकर हम भारत की औद्योगिक प्रगति को अवरुद्ध ही करेंगे। एस० नटराज का कहना है कि पंचवर्षीय योजना और सरकार की सम्पूर्ण नीतियाँ औद्योगीकरण की हैं। ऐसी स्थिति में बुनियादी शिक्षा के लिये प्रयत्न करना आवश्यक नहीं है।

(5) अस्वाभाविक समन्वय—बुनियादी शिक्षा में किसी हस्तकला के द्वारा सब विषयों की शिक्षा प्रदान करना असम्भव है। समन्वय सहज और स्वाभाविक होना चाहिये। इसमें किसी हस्तकला का अन्य विषयों से अस्वाभाविक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है, जो शिक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में **पी०एस० नायडू** का कहना है कि हस्तकला द्वारा पाठ्यक्रम के सभी विषयों का सम्बन्ध स्थापित करना एक अस्वाभाविक कार्य है। **एस०एन० मुकर्जी** का विचार है कि सामान्य विषयों की शिक्षा हस्तकला के माध्यम से नहीं दी जा सकती।

(6) असन्तुलित समय विभाजन—बुनियादी स्कूलों में विभिन्न विषयों के लिये समय का विभाजन अत्यन्त दोषपूर्ण है। हस्तकला के लिये 3 घण्टे 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शारीरिक श्रम के लिये केवल 10 मिनट दिये गये हैं। हस्तकला को इतना अधिक समय प्रदान करके अन्य विषयों की उपेक्षा होती है, जो उचित नहीं है।

(7) एकपक्षीय विकास—बुनियादी शिक्षा बालक का एकपक्षीय विकास करती है। इसमें हस्तकला को अधिक और अन्य मानवीय विषयों को कम महत्त्व दिया गया है, जिससे बालकों को नैतिक और सामाजिक विकास की अपेक्षा भौतिक विकास के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। बुनियादी शिक्षा प्राप्त बालक किसी हस्तकला में तो दक्ष हो जाते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में सामान्य ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं।

(8) धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा—बुनियादी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, जबकि बालकों के नैतिक व चारित्रिक उत्थान के लिये इस प्रकार की शिक्षा की आजकल बहुत आवश्यकता है।

(9) अव्यावहारिक—कुछ लोगों का कहना है कि बुनियादी शिक्षा अव्यावहारिक है। बुनियादी स्कूलों में सही हस्त-कलाओं की व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन है, जिसके कारण विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार हस्तकला या शिल्प नहीं मिल पाता। अधिकांश विद्यालयों में कताई, बुनाई या गाँवों में कृषि या बागवानी की ही व्यवस्था होती है। इसके अतिरिक्त इस योजना का यह भी दोष है कि यद्यपि स्कूलों में विद्यार्थी अपना अधिकांश समय हस्तकला के सीखने में ही लगा देते हैं, फिर भी वे उसमें निपुण नहीं हो पाते।

(10) ग्रामों के लिये उपयुक्त—बुनियादी शिक्षा प्रणाली के विषय में कुछ आलोचकों का कहना है कि यह योजना विशेष रूप से ग्रामों के लिये है, नगरों के लिये नहीं, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में ही अधिक सफल हो सकती है। **झिंगरन** एवं **शर्मा** ने बुनियादी शिक्षा की आलोचना करते हुये लिखा है—*"यह योजना काल्पनिक है, एक अनावश्यक विश्वास है, एक मनःसृष्टि है और वास्तविक व्यवहार से परे है।"*

अनेक शिक्षाविदों ने बुनियादी शिक्षा की कटु आलोचना की है। कतिपय शिक्षाविदों के विचार दृष्टव्य हैं—

ए०एन० बसु (A.N. Basu)—"बुनियादी शिक्षा में हस्तकला की ओर अधिक ध्यान देने के कारण बालक की अवहेलना की जाती है।"

के०टी० शाह (K.T. Shah)—"इस योजना से विद्यार्थियों की फीस तथा पुस्तकों आदि के व्यय की पूर्ति तो सम्भव हो सकती है, लेकिन यह कहना कि इससे शिक्षकों का वेतन भी निकल आयेगा, उचित नहीं जान पड़ता।"

एस०एन० मुकर्जी (S.N. Mukarjee)—"बुनियादी शिक्षा बालक की रुचियों और प्रवृत्तियों का विकास होने से पूर्व और उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त किये बिना बालक को अल्प आयु में ही किसी हस्त-शिल्प से बाँध देती है।"

Scanned by CamScanner

श्रीधरदास मुखोपाध्याय (Sridhardass Mukhopadhaya)—"यह शिक्षा स्वावलम्बी नहीं बन सकती, क्योंकि बालकों द्वारा बनायी जाने वाली वस्तुओं से शिक्षकों के वेतन का व्यय नहीं निकल सकता।"

बुनियादी शिक्षा की मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार (Report of the Assessment Committee on Basic Education)—*"सामान्य धारणा यह है कि बुनियादी स्कूल साधारण स्कूल से अधिक महँगा है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का शीघ्रता से प्रचार नहीं किया जा सकता।"*

झिंगरन एवं शर्मा (Jhingran and Sharma)—*"बुनियादी शिक्षा में सुस्थिर शिक्षा दर्शन की अपेक्षा भावुकता अधिक है। इसे गांधीजी की महानता से प्रभावित व्यक्तियों ने भावुकतावश ही इसे स्वीकार किया है।"*

बुनियादी शिक्षा की समीक्षा
(Estimate of Basic Education)

सन् 1940-47 की अवधि में कई प्रान्तों में बुनियादी शिक्षा के स्कूल बहुत उत्साह के साथ खोले गये और चले। सन् 1947 से 1960 तक भारत के स्वातन्त्र्य काल में मौलाना आजाद और के०एल० श्रीमाली ने अपने **शिक्षामन्त्रित्व** के कार्यकाल में बुनियादी शिक्षा को प्रसारित करने में बहुत अहम् भूमिका निभायी, लेकिन उसके बाद देश के नेताओं, नीति-निर्धारकों और शिक्षाशास्त्रियों ने इसे लगभग छोड़ दिया और मृतप्राय कर दिया। इसको त्यागने के प्रमुख कारण रहे—

(1) स्वतन्त्र भारत के बुद्धिजीवियों ने इसको हेय माना।
(2) आधुनिक औद्योगिक युग में इसके उद्योगों को पिछड़ा और निम्न स्तर का माना गया।
(3) शिक्षाशास्त्रियों द्वारा बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धान्तों; जैसे—समवाय, स्वावलम्बन, मातृभाषा की शिक्षा को छोड़ दिया गया और नये-नये सम्प्रत्ययों को अपनाया जाने लगा।
(4) धन का अभाव सर्वत्र रहा।
(5) निष्ठावान और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव रहा।
(6) अधिकांश गांधीवादी नेताओं और शिक्षाशास्त्रियों ने अपने बच्चों को बुनियादी स्कूलों में न भेजकर महँगे और बड़े पब्लिक स्कूलों में भेजा।
(7) समय के साथ-साथ अधिकांश नेता और जनता गांधीजी के आदर्शों, सिद्धान्तों, मूल्यों और रचनात्मक कार्यक्रमों तथा बुनियादी शिक्षा से विमुख होती गयी।

यद्यपि बुनियादी शिक्षा योजना की कपितय सीमायें हैं, तथापि इसकी गुणवत्ता और महत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह कहना सत्य को अस्वीकार करना होगा कि हमारी शिक्षा पर बुनियादी शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारे देश की शिक्षा की पुनर्रचना करते समय क्रिया केन्द्रित शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, समवाय पद्धति आदि को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कोठारी आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में कार्यानुभव और समाज-सेवा को बहुत महत्त्व दिया है। डॉ० राधाकृष्णन ने भी स्वीकार किया था कि गांधीजी की शिक्षा योजना हमारे लिये एक प्रकाश स्तम्भ है। सच तो यह है कि बुनियादी शिक्षा पद्धति भारतीय संस्कृति, दर्शन और जन-जीवन की इच्छाओं के अनुकूल है। गांधीजी ने एक समृद्ध और सुखी भारत की कल्पना की थी और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की थी।

●●●

Scanned by CamScanner